राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1028/2025

तबारक अली

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 14.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई। अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, नयापुरा कोटा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, नयापुरा कोटा से जवाहर लाल नेहरू हॉस्पिटल, अजमेर में किया गया है। इसके पश्चात आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण जेएलएन चिकित्सालय, अजमेर में स्थानांतरणाधीन होना दर्शाते हुए सीएचसी आडेल बाड़मेर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के पहले स्थानांतरण आदेश को निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि उसमें संशोधन करते हुए दूसरा स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है, जो गलत है। ऐसे में

अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश गलत तरीके से पारित किया गया है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश को स्थगित रखा जाए।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) में संशोधन करते हुए दूसरा स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–2) जारी किया गया है, जिस आदेश में अपीलार्थी के संबंध में जारी पहले स्थानांतरण आदेश में संशोधन किये जाने का उल्लेख अंकित है। ऐसे में हम पाते हैं कि अपीलार्थी के संबंध में संशोधन आदेश ही लागू होगा। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)